

फर्ड अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा
केम्प कोर्ट बंराटियाँमहावीर पिता रामगोपाल ब्राह्मण बनाम भैरूलाल पिता उदा ब्राह्मण
निवासी-अमरतियाँ निवासी- अमरतियाँ
किस्म मु.-प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 251 क रा.ले.रेवे. एक्ट प्रकरण संख्या- 04/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.06.2018	<p>पत्रावली आज लोक अदालत केम्प कोर्ट बंराटियाँ पर पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित । अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 की और से श्री मोहम्मद निशार वकील ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रस्तुत किया गया । वकील प्रार्थी की इस्तदुआ करने पर उनकी बहस सुनी गई । वक्त बहस वकील प्रार्थी का कथन था कि आराजी मुतदाविया ग्राम बालापुरा पटवार हल्का बंराटियाँ तहसील हुरडा की आराजी नम्बर 84 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर- 92 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा स्थित है । जिस पर आने जाने के लिए कोई रास्ता विद्यमान नहीं है प्रार्थी पिछले काफी वर्षों से रास्ता लेने का प्रयास कर रहे हैं । मगर विपक्षी रास्ता नहीं दे रही है । प्रार्थी को विपक्षी की आराजी सं. 96, 97, 75, 94 की पूर्वी दिशा में रास्ता 20 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करावें ।</p> <p>तहसीलदार हुरडा से मौके की रिपोर्ट तलब की जाने पर तहसीलदार हुरडा के द्वारा आराजियात का मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2018/ दिनांक 25.04.2018 प्रस्तुत की गई है । जिस अनुसार प्रार्थी को उनके खातेदारी आराजी नं. 84 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर- 92 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा पर आने जाने के लिए निकटतम रास्ता आराजी नं. 96, 97, 75, 94 की पूर्वी दिशा में रास्ता चाहा गया है जो मौके के अनुसार लघुतम रास्ता नहीं है । प्रार्थी की आराजियात नं. नम्बर 84, 92 में से आने जाने के लिए मौके अनुसार लघुतम रास्ता आराजी नं. 70 से होकर है । जो अन्य की खातेदारी की है । जो इस प्रकरण में पक्षकार नहीं है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के अन्तर्गत निकटतम रास्ता ही दिया जा सकता है । ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है । पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । आदेश आज दिनांक 27.06.2018 को खुली लोक अदालत केम्प कोर्ट बंराटिया पर सुनाया गया ।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा (जिला-मीरवाड़ा)</p>	